बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 165113

ग्रा.वि.-9(था)08/12भाग-2

पटना, दिनांक :- 01/10/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :- **लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य को मनरेगा से कराने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने का कानूनी प्रावधान है। योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका nrega.nic.in पर देखी जा सकती है।

2. इस क्रम में कहना है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमान्य कार्यों के श्रेणी अंतर्गत

i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय (Water Harvesting) अंतर्गत कन्टूर खाइयां (*सामान उंचाई वाली खाई*), कन्टूर बंध (*किसी पहाडी क्षेत्र में जल प्रवाह के वेग को नियंत्रित करने का किफायती तरीका*), गोलश्म चेक (*पत्थर के रोक बांध*), गैबियन संरचनाएं (*बेलनाकार संरचनायें कैचमेंट वाले नाले पर भारी कटाव को रोकने के लिये*), भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध और झरनों का विकास [*स्लूइस गेट, चेक डैम, ट्रेंच, वाटर शेड संरचनाऐं आदि*]

ii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म [*नहरों का निर्माण / उड़ाही/ सुदृढ़ीकरण , सार्वजनिक कूप निर्माण, ट्युबवेल चैनेल का निर्माण आदि*]

iii) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, तालाबों का शुद्धिकरण [*आहर-पईन खुदाई, सार्वजनिक तालाब निर्माण / सुदृढ़ीकरण/ जीर्णोद्धार आदि*] आते हैं।

3. तदनुसार लघु जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमण्डलों द्वारा आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य के संबंध में यह दिशानिर्देश दिया जाता है कि प्रथम चरण में हर एक कनीय अभियंता के प्रक्षेत्र में कम-से-कम एक कार्य जो आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य से संबंधित है का कार्यान्वयन मनरेगा के अर्न्तगत लिया जाए। राजकीय ट्यूबवेल (State Tube Well) के चैनेल निर्माण की योजनायें एवं जल शस्य संचय (Water Harvesting) से संबंधित योजनायें भी ली जायें। तदनुसार वर्ष 2013-14 की अनुमोदित कार्य योजना में से कार्य का चयन किया जाय। वर्ष 2014-15 की कार्य योजना में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कार्यों को शामिल किया जाय ताकि 2013-14 में भी प्रत्येक कनीय अभियंता के क्षेत्रांतर्गत कम से कम 1-1

अतिरिक्त आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य से संबंधित कार्य तथा लिया जा सके । राजकीय ट्यूबवेल के चैनल निर्माण तथा जल शस्य संचय (Water Harvesting) से संबंधित योजनायें भी ली जाय ।

<u>निजी जमीन की योजनायें</u> :- विदित है कि मनरेगा अंतर्गत निजी जमीन पर भी सिंचाई उपबंध आदि का प्रावधान है । इस क्रम में निजी जमीन पर पात्र जॉब कार्डधारियों द्वारा सिंचाई तथा जल शस्य संचय (Water Harvesting) की योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जाय । चूकि ये योजनायें छोटे स्तर की होती हैं इसलिये इनका कार्यन्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा । परंतु, यदि पात्र जॉबकार्डधारी परिवार समूह में अपने-अपने भूमियों पर समेकित रुप से जल संरक्षण तथा जल शस्य संचय के निर्माण कार्य का आवेदन देते हैं तो ऐसे समेकित योजनाओं का कार्यन्वयन लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा सकता है । दोनो हीं परिस्थितियों में योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जायेगा ।

4. मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों का चयन, कार्यान्वयन की प्रक्रिया, अभिलेखों के संधारण, भुगतान, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नवत् मुख्य प्रावधान है:-

i. मनरेगा योजना अंतर्गत निबंधित मजदूरों के माध्यम से कार्य किया जाना है ।

ii. योजना का चयन एवं उसके कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाना है । भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन मार्गनिदेशिका (MGNREGA Operational Guidelines, 2013) के आलोक में अन्य कार्यान्वयन निकायों (जिसमे लाइन विभाग आते हैं) के द्वारा योजनायें जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा में रखनें के लिये वार्षिक कार्य योजना के निर्धारन हेतु आयोजित ग्राम सभा के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाना है । ग्राम सभा द्वारा पारित योजना का हीं कार्यान्वयन मनरेगा अंतर्गत किया जा सकता है ।

iii. मनरेगा की योजनाओं में श्रम तथा सामग्री का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 संधारित किया जाना है ।

iv. योजना के कार्यान्वयन में संवेदक का प्रावधान नही है ।

v. योजना के कार्यान्वयन में लेबर डिसप्लेसींग मशीन पर रोक है, अर्थात् मिट्टी कटाव एवं भराई कार्य में मशीन नहीं लगायी जाएगी । मिट्टी कम्पैकसेन (compaction) एवं मटेरियल के कम्पैकसेन (compaction) के लिए मशीन लगायी जा सकती है, जिसकी समुचित प्रविष्टि अभिलेख में सामग्री मद अंतर्गत की जाएगी ।

vi. मजदूरी का भुगतान मनरेगा अनतर्गत निर्धारित दर पर किया जायेगा जो काम किये जाने के 15 दिनो के अन्दर मजदूरो को कर देना है । भुगतान मजदूरों के बैंक/ पोस्ट आफिस खाते में किया जाना है ।

vii. काम शुरु करने की प्रक्रिया- काम का आवंटन- मस्टर रौल तैयार करना, मजदूरी एवं अभिश्रवों का भुगतान तथा निधि प्रबंधन से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभागीय पत्रांक 114035 दिनांक 18.07.2012 (सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत है ।

5. इन कार्यों का प्राक्कलन लघु जल संसाधन प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा तैयार कराया जाएगा । सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजा जाएगा, जिनके स्तर से सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी । इस आदेश की प्रति संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जाएगा, जो उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के कार्य की मांग करने वाले मजदूरों की सूची ई0-मस्टर के जरिए कार्यान्वयन निकाय को उपलब्ध कराएंगे । कार्यान्वयन एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन प्रमंडल होंगे ।

6. योजना के अन्तर्गत कार्यों का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर किया जाएगा ।

7. योजनाओं का कार्यान्वयन मनरेगा के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा, इस हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक सभी संबंधित अभियंताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे । इस प्रशिक्षण में उनको CPSMS के माध्यम से निधि प्रबंधन तथा MIS पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे इनका समुचित उपयोग कर सकें ।

8. जिला कार्यक्रम समन्वयक अपनी मासिक समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा के अन्तर्गत नहरों के उढाहीकरन/ बांधो के सुदृढीकरन अथवा चौर विकास से संबंधित निर्माण के कार्य की प्रगति की सामयिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे । मुख्य अभियंता/ अधिक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग अपने अपने क्षेत्र में इस निदेश के अनुपालन की समीक्षा करेंगे ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

विश्वासभाजन,

(अमृत लाल मीणा)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक- 16513 पटना,दिनांक:- 01/10/2013
ग्रा.वि.-
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को माननीय मंत्री के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव 26/9

ज्ञापांक- 16513 पटना,दिनांक:- 01/10/2013
ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को माननीय मंत्री के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक- 16513 पटना,दिनांक:- 01/10/2013
ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव/9

ज्ञापांक- 16513 पटना,दिनांक:- 01/10/2013
ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव